न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 36 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गफुरखां पुत्र जामीनखां
2. मुसेखां पुत्र जामीनखां जाति मुसलमान सिंधी निवासीयान सिंधियों की ढाणी, मडापुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.अन्तरोदेवी पत्नी दीपाराम
2.कसुम्बीदेवी पत्नी कौसलाराम जाति जाट निवासी सांभरा
3.नजरूदीन पुत्र वली मोहम्मद जाति कसाई मुसलमान निवासी सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
4.बरगदखां पुत्र जामीनखां जाति सिंधी मुसलमान निवासी सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
5.राजस्थान राज्य जरिये प्रतिलिपि भूमिधारक पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 63 / 2016 बअनवान अन्तरोदेवी बनाम कसुम्बीदेवी में धारा 144 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 04.06.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री उमरदीन मेहर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पूनमाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– **04.11.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2017 को पारित अंतिम डिक्री को अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री पारित की थी उसकी पालना में रेकर्ड जरिये म्युटेशन संख्या 505 रेकर्ड में हुई. इससे पहले जो जमाबंदी की स्थिति थी उसको कायम करना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2017 को पारित डिक्री का प्रभाव दिनांक 15.10.2018 के बाद नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्टस व रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 82 रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा आया हुआ है। उक्त भूमि के संबंध में वादीनी अन्तरोदेवी ने एक वाद दिनांक 01.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 19.04.2017 को अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2018 को अपास्त किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री को निरस्त कर दिया गया है तो उस डिक्री की पालना में भरा गया म्यूटेशन व कार्यवाही स्वत निरस्त हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2017(1) Page 364
RRT 2018(1) Page 383
RRT 2015(2) Page 1121

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। उक्त विभाजन माफिक कब्जा काश्त हुआ है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व की वास्तविक स्थिति उक्त पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में तब्दिली जरिये डिक्री की गयी थी। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2017 को न्यायालय हाजा में पेश अपील संख्या 46,47/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2018 के द्वारा अपास्त किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 19.04.2017 की पालना में भरा गया नामांतकरण डिक्री के प्रभाव में नहीं रहने से शून्य हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में किया गया म्यूटेशन व राजस्व रेकर्ड में की गई तब्दिली को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि की दावे से पूर्व की स्थिति को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कायम किया जाना लाजमी एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं रिकॉर्ड के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 63/2016 बअनवान अन्तरोदेवी बनाम कसुम्बीदेवी में धारा 144 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 04.06.2019 को अपास्त कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि की दावे से पूर्व की स्थिति को कायम किया जावे।

04/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner